आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कारवाई के बारे टिप्पणी तारीख साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 54/2018–2019

प्रमोद पासवान वनाम् विन्देश्वर सिंह एवं अन्य

आदेश

03/09/19

आवेदक प्रमोद पासवान, पिता–रामवली पासवान, ग्राम–सचई, पोस्ट+थाना–कुर्था, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि को नापी कराने एवं दखल दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
182	1266	1.5 डी०	उत्तर–रास्ता दक्षिण–रामाशिष सिंह पूरब–गरीबन सिंह पश्चिम–छोटन पासवान वगैरह

अवस्थित मौजा–सचई, थाना+अंचल–कुर्था, जिला–अरवल

वाद की प्रविष्टि की गई। प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक वसीका संख्या–50 से दिनांक 05.01.2016 से निष्पादित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है।

(2) आवेदक विवादित भूमि की खरीदी हुई भूमि पर फसल लगाने लगा तो प्रतिवादी शिव विलास पासवान द्वारा मना किया तो जबरदस्ती भूमि पर दखल कब्जा करना चाहते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मांगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

प्रतिवादी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या–02 का 40 वर्षो से आवासीय मकान एवं सहन है। इस भूमि के अलावे कोई भूमि नही है। प्रतिवादी भूमिहीन है।

(2) प्रतिवादी संख्या–02 के पिता शिव विलास पासवान प्रश्नगत् भूमि के मालिक यहाँ हलवाहा थे जो मजदूरी में जमीन के रैयत द्वारा धर बनाने के लिए भूमि दिये है जिसपर मकान बनाकर शांति पूर्वक सपरिवार निवास करते चले आ रहे है।

(3) आवेदक ने विवादित भूमि अन्य व्यक्ति से खरीदकर प्रतिवादी संख्या–02 के तंग तवाह कर रहे है।

(4) आवेदक द्वारा प्रतिवादी संख्या–01 का पक्षकार बनाया गया है जो विवादित भूमि के विकेता है जो अपने मेल में रहने के लिए पक्षकार बनाया है जबकि विकेता के पूर्वज ने ही मजदूरी में जमीन देकर बसाया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारीज करने योग्य है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विवादित भूमि आवेदक ने श्री विन्देश्वर सिंह, पिता–स्व० कृत सिंह से वसीका संख्या–50 दिनांक 05.01.2018 से खरीदगी भूमि पर दावा करते है। जबकि प्रतिवादी संख्या–02 ने विवादित भूमि पर विकेता के पूर्वज श्री गरीबन शर्मा, पिता–देवदत शर्मा के मजदूरी में बसने हेतु भूमि देने पर दावा करते है कि उक्त भूमि पर मकान बनाकर रह रहे

है। प्रतिवादी संख्या–01 विन्देश्वर सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित भूमि की मापी कराने की सहमति दी गयी है।

अंचल अधिकारी, कुर्था से विवादित भूमि का भौतिक जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, कुर्था ने पत्रांक 423 दिनांक 01.07.2019 का जॉच प्रतिवेदन को अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, कुर्था ने विवादित भूमि की जॉच राजस्व हल्का कर्मचारी से कराया। उन्होने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विवादित भूमि परति है परन्तु वर्तमान में विवादित भूमि शिव विलास पासवान, पिता–स्व० दसई पासवान अपना कब्जा बताते है। विवादित भूमि रैयती खाते की है, विक्रेता को विवादित भूमि खतियानी रैयत के फरीक से बख्शीशनामा द्वारा प्राप्त है। उक्त खेसरा का जमाबंदी विक्रेता के नाम पर नही चल रही है। विवादित भूमि वादी ने विन्देश्वर सिंह, पिता–स्व० कृत सिंह से निबंधित केवाला के माध्यम से 05.01.2018 को खरीद की है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

इस प्रकार उभय पक्षों को सुना एवं उपलब्ध दस्तावेजों, वसिका एवं अंचलाधिकारी, कुर्था के प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि वादी को प्रश्नगत भूमि वसिका संख्या–50 दिनांक 04.01.2018 से प्राप्त है। प्रतिवादी के पास प्रश्नगत् भूमि पर अपना दावा सिद्व करने लायक कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है। यह भी की भूमि वर्तमान में परति है बिना किसी दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत् भूमि के संबंध में प्रतिवादी का दावा उचित नही है। दूसरी तरफ वादी ने प्रश्नगत् भूमि को कय किया है किन्तु वर्तमान में बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली 2018 प्रवृत है जिसके तहत मापी अंचलाधिकारी द्वारा कराई जानी है।

अतः वादी प्रश्नगत् भूमि का नापी हेतु अंचलाधिकारी, कुर्था के यहाँ आवेदन दे सकते है। अंचल अधिकारी, कुर्था को निदेश दिया जाता है कि ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली 2018 के तहत प्रश्नगत् भूमि की नियमानुसार सीमांकन कराये। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, कुर्था को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 03/9/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(हस्ताक्षर) 03/9/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।